# न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | :: | विधिका आर्य, आर0जे0एस0 |
| नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या | :: | 474/2020 |
| सी.आई.एस. नंबर | :: | 476/2020 |
| एफ.आई.आर. संख्या | :: | 43/2020 |
| सी.एन.आर. संख्या | :: | RJHG120011032020 |

राजस्थान राज्य **बनाम** संजय आदि

**अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता**

## भाग प्रथम

**क**

| | |
|---|---|
| परिवादिया | श्रीमती मंजू पत्नी संजय कुमार पुत्री हरिराम, उम्र 20 साल, निवासी धान्धुसर, पीएस पल्लू, जिला हनुमानगढ़। |
| प्रस्तुतकर्ता | विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी |
| अभियुक्त का विवरण | 1. संजय कुमार पुत्र सुखराम, उम्र 32 साल, निवासी चक 15–16 के.डब्ल्यू.डी. रावतसर, जिला हनुमानगढ़।<br>2. सरोज पत्नी सुखराम, उम्र 55 साल, निवासी चक 15–16 के.डब्ल्यू.डी. रावतसर, जिला हनुमानगढ़। |
| अधिवक्ता अभियुक्तगण | श्री हनुमान शर्मा |
| अधिवक्ता परिवादिया | श्री सुभाष बिश्नोई |

**ख**

| | |
|---|---|
| अपराध की दिनांक | 27.03.2019 के पश्चात समय–समय पर |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक | 01.04.2020 |
| आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक | 02.09.2020 |
| आरोप विरचित किये जाने की दिनांक | 26.05.2022 अभियुक्ता सरोज के विरुद्ध<br>13.06.2022 अभियुक्त संजय के विरुद्ध |
| निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक | 17.07.2026 |
| निर्णय दिनांक | 17.07.2026 |
| सजा आदेश यदि हो तो | ––––– |

**ग**

**अभियुक्तगण का विवरण**

| क्र. सं. | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की दिनांक | जमानत पर रिहा होने की दिनांक | अपराध अंतर्गत धारा | दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध | पारित दण्डादेश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | संजय कुमार | दिनांक 02.09.2020 को नोटिस अंतर्गत धारा 41 ए सी.आर.पी.सी. की पालना में उपस्थित | 02.09.2020 | 498 ए, 323, 406, 34 भारतीय दण्ड संहिता | दोषमुक्त | ---- |
| 2– | सरोज | दिनांक 02.09.2020 को नोटिस अंतर्गत धारा 41 ए सी.आर.पी.सी. की पालना में उपस्थित | 02.09.2020 | 498 ए, 323, 406, 34 भारतीय दण्ड संहिता | दोषमुक्त | ---- |

## भाग द्वितीय
## अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
### अ–अभियोजन गवाहान

| गवाह संख्या | गवाह का नाम | गवाह की प्रकृति |
|---|---|---|
| पी.डब्ल्यू. 1 | मंजू | स्वयं परिवादिया |

### ब–बचाव गवाह

| गवाह संख्या | गवाह का नाम | गवाह की प्रकृति |
|---|---|---|
| –––––––– | | |

### स–न्यायालय गवाह

| गवाह संख्या | गवाह का नाम | गवाह की प्रकृति |
|---|---|---|
| –––––––– | | |

## अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
### अ–अभियोजन प्रदर्श

| प्रदर्श दस्तावेजात् | नाम दस्तावेजात् |
|---|---|
| प्रदर्श पी–1 | लिखित रिपोर्ट |
| प्रदर्श पी–2 | एफ.आई.आर. |
| प्रदर्श पी–3 | नक्शा मौका घटनास्थल |
| प्रदर्श पी–4 | चिकित्सकीय परीक्षण नहीं करवाने बाबत् सहमति पत्र |
| प्रदर्श पी–5 | बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता मंजू की प्रति |
| प्रदर्श पी–6 | फर्द सुपुर्दगी स्त्रीधन |

| | |
|---|---|
| प्रदर्श पी–7 | पुलिस बयान मंजू |

**ब–बचाव प्रदर्श**

| क्र.सं. | प्रदर्श नम्बर | विवरण |
|---|---|---|
| ––––––––––– | | |

**स–न्यायालय प्रदर्श**

| क्र.सं. | प्रदर्श नम्बर | विवरण |
|---|---|---|
| ––––––––––– | | |

**द–भौतिक वस्तुएं**

| क्र.सं. | भौतिक वस्तु नम्बर | विवरण |
|---|---|---|
| ––––––––––––– | | |

**– :: निर्णय :: –** **दिनांकः 17–07–2026**

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.04.2020 को प्रार्थीया मंजू ने अपने चाचा मदनलाल के साथ हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि''प्रार्थीया का विवाह दिनांक 27.03.2019 को अभियुक्त संजय के साथ अट्टे–सट्टे में हिन्दू रीति रिवाज से प्रार्थीया के ननिहाल में सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीया की शादी में प्रार्थीया के परिवारवालों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। अभियुक्तगण लालची किश्म के व्यक्ति हैं जो परिवादिया के पीहर पक्ष द्वारा दिये गए दान दहेज से खुश नहीं हुए तथा तथा शादी के समय से ही परिवादिया को कम दहेज का ताना देकर मोटरसाइकिल एवं सोने की चैन की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। तब प्रार्थीया ने समझाया कि उसके परिवारवालों की दहेज देने की आर्थिक स्थिति नहीं है। मगर इस बात से प्रार्थीया के ससुराल वाले नाराज हो गए और प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रार्थी को तंग परेशान व मारपीट करने लगे। प्रार्थी जब अपने पीहर धान्धुसर आयी तो अपने नाना–नानी व मामा–मामी को सारी बात बतायी तो प्रार्थी के ननिहाल वालों व रिश्तेदार महेन्द्र गोदारा ने प्रार्थीया के ससुराल जाकर प्रार्थीया के पति, सास व ननद को समझाया तो ससुराल पक्ष ने अपनी बेइज़्ज़ती होने के डर से अपनी दहेज की मांग करने की बात को स्वीकार किया और आयन्दा से प्रार्थीया को तंग परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया। परंतु कुछ दिनों तक सही रखने के बाद प्रार्थीया के ससुराल पक्ष ने फिर से दहेज में मोटरसाइकिल व एक सोने की चैन की मांग को लेकर प्रार्थीया को तंग

परेशान करने लगे। प्रार्थीया के पति संजय कुमार का प्रार्थीया की शादी से पूर्व ही किसी नीतू शर्मा नाम की औरत जो शादी शुदा है, जिसके बच्चे भी हैं, के साथ अफेयर चल रहा है तथा प्रार्थीया के पति ने बताया कि उसका नीतू शर्मा से एक बच्चा भी हुआ है, जो प्रार्थीया के साथ धोखा है तथा प्रार्थीया का पति शराब पीकर कई बार अप्राकृतिक मैथून कर चुका है, जिससे प्रार्थीया इस व्यवहार से शादी के बाद से ही शारीरिक व मानिसक रूप से तंग परेशान रहती है .....आदि।'' उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पल्लू में एफआईआर संख्या 43/2020 दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में अभियुक्तगण संजय कुमार व सरोज के विरूद्ध धारा 498ए, 406, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किया, जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 02.09.2020 को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

**2.** अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

**3.** साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर परिवादिया द्वारा अभियुक्तगण के साथ धारा 406, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा पेश किया गया जो बाद जांच तस्दीक किया गया। पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने एवं अभियोजन साक्षी मंजू के पक्षद्रोही हो जाने से अभियोजन की ओर से शेष गवाहान् को तर्क किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का विचारण शेष रहा है।

**4.** अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य अभियोजन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 मंजू को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 ता पी–7 दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गए।

**5.** अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई सदोषकारी साक्ष्य नहीं आने से बयान मुलजिम बनना नहीं पाये गये। साक्ष्य सफाई में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

**6.** बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन ने अपनी कहानी को संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

**7.** उक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा दौरान–ए–बहस तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह स्वयं परिवादिया पक्षद्रोही हुई है। अभियोजन द्वारा कोई सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई, जिससे आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

**8.** उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। पक्षकारान के मध्य धारा 406, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता की हद तक राजीनामा होना स्वीकृत हैं। ऐसे में, पक्षकारान के मध्य धारा 406, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में राजीनामा हो जाने से शेष आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 498 ए सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में ही पत्रावली पर आयी साक्ष्य अनुसार निस्तारण किया जाना है।

**9.** पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु अवधार्य बिन्दु यह है कि:–

**1.** क्या अभियुक्तगण ने परिवादिया से दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चैन की मांग को लेकर परिवादिया को तंग परेशान व मारपीट कर मानसिक व शारीरिक क्रूरता की ?

**2.** यदि उक्त अवधार्य बिन्दु सकारात्मक रूप से साबित होता है तो अभियुक्तगण किस दण्ड से दण्डित किये जाने का पात्र है?

**10.** उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से साक्ष्य हेतु स्वयं परिवादिया को पी.डब्ल्यू. 1 के तौर पर परीक्षित करवाया गया है। जो प्रकरण की सबसे महत्पूर्ण साक्षी है, उक्त गवाह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर ही प्रकरण दर्ज होकर वर्तमान स्तर तक पहुंचा है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी शादी संजय कुमार के साथ दिनांक 27.03.2019 को समस्त हिंदू रीति–रिवाज से हुई थी। विवाद के बाद वह अपने ससुराल रहने लगी। विवाह में उसके नाना व अन्य परिवारवालों ने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था। विवाद के बाद वह अपेन ससुराल गयी तो कुछ समय बाद उसकी अपने ससुरालवालों के साथ घरेलू बातों को लेकर अनबन हो गई। उसके पति व उसकी सास ने उसके साथ कभी दहेज बाबत् मारपीट नहीं की व ना ही दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चैन की

मांग की। उसके पति ने उसके साथ कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध बुरा काम नहीं किया व ना ही उसके ससुरालवालों ने उसके साथ दहेज बाबत् मारपीट कर घर से बाहर निकाला।

**11.** उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का हिस्सा ए से बी उसके द्वारा नहीं लिखवाया गया। पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का हिस्सा ए से बी सुनकर कहा कि उसके द्वारा नहीं लिखवाया गया। प्रदर्श पी–5 का हिस्सा ए से बी सुनकर कहा कि उसने परिवार वालों के कहने पर लिखवा दिया था। यह कहना गलत है कि उसके पति व उसकी सास ने उसे दहेज बाबत् तंग परेशान किया हो एवं दहेज में उससे सोने की चैन व मोटरसाइकिल की मांग की गई हो और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके ससुराल वालों ने उसे मारपीट करके निकाल दिया हो। यह कहना सही है कि उसका अपने पति के साथ राजीनामा हो गया है और वे एक साथ रिहायश कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि वह राजीनामा हो जाने के कारण आज न्यायालय में गलत बयानी कर रही हो। इस प्रकार प्रकरण की सबसे अहम साक्षी परिवादिया पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हुई है, जिसकी साक्ष्य से अभियोजन की कहानी को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

**12.** उपरोक्त समस्त संकलित, सारभूत साक्ष्य सामग्री के विवेचन–विश्लेषण पश्चात् प्रकरण के अवधार्य बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि परिवादिया न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुई है। पत्रावली पर आयी साक्ष्य अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराये जाने हेतु पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। दाण्डिक प्रकरणों में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने हेतु ठोस, संपुष्ट, शृंखलाबद्ध साक्ष्य लेखबद्ध से आरोपित अपराध को अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष ऐसी प्रकृति की साक्ष्य लेखबद्ध करवाने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण की मूल गवाह परिवादिया के पक्षद्रोही हो जाने से प्रकरण मूल रूप से शून्य साक्ष्य का विषय रहा है। पक्षकारान् के बीच धारा 406, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में राजीनामा भी हो चुका है। लिहाजा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता से जरिये राजीनामा व धारा 498 ए सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**– आदेश –**

13. अतः अभियुक्तगण 1. संजय कुमार पुत्र सुखराम, उम्र 32 साल, निवासी चक 15–16 के.डब्ल्यू.डी. रावतसर, जिला हनुमानगढ़ व 2. सरोज पत्नी सुखराम, उम्र 55 साल, निवासी चक 15–16 के.डब्ल्यू.डी. रावतसर, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता से जरिये राजीनामा व धारा 498 ए सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में यदि कोई वजह सबूत हो तो बाद गुजरने मियाद अवधि अपील रिवीजन नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(विधिका आर्य, आरजेएस)

15. निर्णय आज दिनांक **17.07.2026** को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

Digitally signed
by AMAR SINGH
Date: 2026.07.18
16:10:54 +0530

(विधिका आर्य, आरजेएस)